दिसंबर तक भारत-ईयू एफटीए समझौता

यूरोपीय बाजार में 93 प्रतिशत भारतीय निर्यात को मिलेगी पहुंच, अगले साल फरवरी-मार्च से लागू होने की उम्मीद

नई दिल्ली, 22 जून भारत और यूरोपीय यूनियन (ईयू) के बीच लंबे समय से चल रही मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) की बातचीत अब अंतिम चरण में पहुंच गई है.

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और 27 देशों के यूरोपीय समूह के बीच दिसंबर तक एफटीए पर हस्ताक्षर होने की संभावना है, जबकि इसके अगले वर्ष फरवरी-मार्च से लागू होने की उम्मीद है. यह समझौता भारतीय निर्यातकों के लिए यूरोप के विशाल बाजार के द्वार और अधिक खोलने वाला साबित हो सकता है.

मुंबई में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के साथ आयोजित एक कार्यक्रम में गोयल ने कहा कि समझौता लागू होने के बाद भारतीय उत्पादों को यूरोपीय बाजार में लगभग शून्य शुल्क के साथ प्रवेश मिलेगा. उन्होंने बताया कि एफटीए के तहत भारत के करीब 93 प्रतिशत निर्यात को ईयू के सदस्य देशों में शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी. इससे भारतीय उद्योगों, विशेष रूप से विनिर्माण, वस्त्र, इंजीनियरिंग और कृषि आधारित उत्पादों को बड़ा लाभ मिलने की संभावना है.

मंत्री ने कहा कि भारत और ईयू की संयुक्त आर्थिक शक्ति वैश्विक अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान रखती है. दोनों मिलकर दुनिया की कुल जीडीपी का लगभग 25 प्रतिशत और वैश्विक व्यापार का लगभग एक-तिहाई हिस्सा रखते हैं. ऐसे में यह समझौता केवल दोनों पक्षों के बीच व्यापार बढ़ाने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं और निवेश प्रवाह को भी मजबूती देगा.

> गोयल ने यह भी संकेत दिया कि भारत अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के साथ भी व्यापार समझौतों को आगे बढ़ा रहा है. उन्होंने बताया कि कनाडा के साथ प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर बातचीत जारी है और दोनों पक्ष इस वर्ष समझौते को अंतिम रूप देने के इच्छुक हैं. वहीं अमेरिका के साथ भी व्यापार समझौते को लेकर उच्चस्तरीय वार्ताएं चल रही हैं. इस अवसर पर मंत्री ने देश के निर्यात प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए कहा कि वैश्विकआर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद अप्रैल-जून तिमाही में भारत का निर्यात लगभग 15 प्रतिशत बढ़ा है.

आईसीआईसीआई प्रू सिग्नेचर सिक्योर हुआ लॉन्च

यह प्लान धन सृजन की संभावना के साथ गारंटीड मैच्योरिटी बेनिफिट भी देता है

लाइफ कवर के साथ सिंगल-प्रीमियम प्रोडक्ट

भोपाल. आईसीआईसीआई आई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने आईसीआईसीआई प्रू सिग्नेचर सिक्योर लॉन्च किया है. यह भारतीय जीवन बीमा उद्योग का पहला यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान (यूलिप) है, जिसमें पहले से शामिल गारंटीड मैच्योरिटी बेनिफिट दिया गया है.

आईसीआईसीआई प्रू सिग्नेचर सिक्योर एक नॉन-पार्टिसिपेटिंग लिंक्ड इंडिविजुअल सेविंग्स लाइफ इंश्योरेंस प्लान है. इसे उन ग्राहकों के लिए बनाया गया है, जो टैक्स के लिहाज से बेहतर और गारंटीड फायदे चाहते हैं. इसका ढाँचा बेहद सरल है, एक बार निवेश कीजिए, पॉलिसी अवधि के दौरान लाइफ कवर का लाभ लीजिए और 5 वर्ष पूर्ण होने पर मैच्योरिटी लाभ पाइए. मैच्योरिटी पर ग्राहक को फंड वैल्यू या गारंटीड मैच्योरिटी बेनिफिट में से जो अधिक होगा, वह मिलेगा. इससे निवेश पर निश्चित और भरोसेमंद रिटर्न मिलता है. उदाहरण के लिए, मान लीजिए कोई 45 वर्षीय ग्राहक एकमुश्त निवेश का विकल्प चुनता है. वह आईसीआईसीआई प्रू सिग्नेचर सिक्योर में 5 लाख रुपए निवेश करके पॉलिसी अवधि के दौरान लाइफ कवर का लाभ ले सकता है. ग्राहक 6.25 लाख रुपए का लाइफ कवर यानि सम एश्योर्ड चुन सकता है.

भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता को मिली रफ्तार

जुलाई की टैरिफ समयसीमा से पहले सहमति की कोशिश

व्यापक व्यापार समझौते की दिशा में बड़ा कदम

नई दिल्ली, 22 जून भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) को आगे बढ़ाने की कवायद तेज हो गई है. दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को नई दिशा देने के उद्देश्य से इस सप्ताह नई दिल्ली में उच्चस्तरीय बैठकों का दौर शुरू होने जा रहा है.

भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने सोमवार को जानकारी दी कि अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जैमीसन ग्रीर नई दिल्ली पहुंचकर केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के साथ कई दौर की वार्ता करेंगे.

इन बैठकों का मुख्य उद्देश्य प्रस्तावित व्यापार समझौते के पहले चरण को अंतिम रूप देना और अगले महीने लागू होने वाली महत्वपूर्ण टैरिफ समयसीमा से पहले लंबित मुद्दों पर सहमति बनाया है. सर्जियो गोर ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर पोस्ट करते हुए कहा कि अमेरिका और भारत के बीच व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने के लिए मंत्री स्तर की कई बैठकें निर्धारित की गई हैं.

भारत और अमेरिका के बीच चल रही यह बातचीत अंतरिम व्यापार समझौते का हिस्सा है, जिसे भविष्य में व्यापक द्विपक्षीय व्यापार समझौते की आधारशिला माना जा रहा है. दोनों देश चरणबद्ध तरीके से व्यापारिक बाधाओं को कम करने और आर्थिक सहयोग को मजबूत बनाने पर काम कर रहे हैं.

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में संकेत दिया था कि उनके अमेरिकी समकक्ष व्यापार समझौते पर चर्चा के लिए भारत आ सकते हैं. वहीं, वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने भी स्पष्ट किया था कि आगामी वार्ताओं का प्रमुख उद्देश्य ढांचा समझौते को अंतिम रूप देना और व्यापक व्यापार समझौते पर बातचीत को आगे बढ़ाना होगा सरकार के अनुसार दोनों देश अंतरिम समझौते से जुड़े लंबित विषयों को तेजी से सुलझाने की दिशा में काम कर रहे हैं.

> यदि दोनों देश निर्धारित समयसीमा के भीतर अंतरिम समझौते के पहले चरण पर सहमति बना लेते हैं, तो इससे व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग के नए अवसर खुलेंगे. साथ ही यह व्यापक भारत-अमेरिका व्यापार समझौते की दिशा में एक महत्वपूर्ण और निर्णायक कदम साबित हो सकता है.

जून के अंत में चार दिन बैंक बंद

शाखाएं बंद, डिजिटल सेवाएं रहेंगी चालू

नकदी और लेनदेन की पहले करें तैयारी

नई दिल्ली, 22 जून के आखिरी सप्ताह में बैंक ग्राहकों को अपनी वित्तीय योजनाएं समय रहते पूरी करनी होंगी. रिजर्व बैंक के अवकाश कैलेंडर के अनुसार 25 जून से 28 जून तक विभिन्न कारणों से कई शहरों में बैंक लगातार चार दिन बंद रहेंगे.

ऐसे में नकदी जमा करने, चेक क्लियरेंस, ड्राफ्ट बनवाने और शाखा से जुड़े अन्य जरूरी कार्यों को पहले ही निपटाने की सलाह दी गई है. बैंक अवकाशों की यह श्रृंखला मुहर्रम, चौथे शनिवार और रविवार की छुट्टियों के कारण बन रही है. 25 जून को मुहर्रम के अवसर पर विजयवाड़ा में बैंक बंद रहेंगे. इसके अगले दिन 26 जून को मुहर्रम के कारण नई दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, कानपुर, पटना, भोपाल, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद सहित कई प्रमुख शहरों में बैंकिंग सेवाएं प्रभावित रहेंगी.

इसके बाद 27 जून को महीने का चौथा शनिवार होने के कारण देशभर में बैंकों की नियमित छुट्टी रहेगी. वहीं 28 जून को रविवार होने से सभी बैंक बंद रहेंगे. लगातार पड़ने वाली इन छुट्टियों के कारण शाखाओं में होने वाले कई कार्य चार दिनों तक प्रभावित रह सकते हैं. जिन ग्राहकों को बड़ी राशि जमा करनी है, चेक जमा कराने हैं, ऋण संबंधी दस्तावेज पूरे करने हैं या किसी अन्य शाखा आधारित सेवा की जरूरत है, उन्हें अवकाश शुरू होने से पहले ही अपना काम पूरा कर लेना चाहिए.

बिना टिकट यात्रा पर अब 500 रुपए से शुरू होगा जुर्माना

नयी दिल्ली, 22 जून. रेलवे बोर्ड ने यात्रियों की सुरक्षा, अनुशासन और व्यवस्था सुधारने के लिए 2013 के बाद पहली बार संशोधित किए दंडात्मक नियम, गलत टिकट, कोच नियम उल्लंघन और अवैध गतिविधियों पर बढ़ी सख्ती

भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा, सुरक्षा और ट्रेन संचालन में अनुशासन बनाए रखने के उद्देश्य से अपने नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं. रेलवे बोर्ड द्वारा जारी नए प्रावधानों के अनुसार अब बिना टिकट या गलत टिकट के साथ यात्रा करने वालों पर पहले की तुलना में अधिक सख्त कार्रवाई की जाएगी. यह संशोधन वर्ष 2013 के बाद पहली बार किया गया है.

ट्रंप टैरिफ 2.0 का नया खेल प्रारंभ

धारा 301 के तहत नए टैरिफ ढांचे की तैयारी

कुछ देशों पर टैक्स घटेगा, तो कुछ पर बढ़ेगा

नई दिल्ली ,22 जून अमेरिका में व्यापार नीति एक बार फिर बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है, जहां पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रस्तावित 'टैरिफ 2.0' मॉडल के तहत वैश्विक व्यापार समीकरण बदलने की तैयारी है.

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा पहले लागू किए गए वैश्विक टैरिफ को अवैध ठहराए जाने के बाद ट्रंप प्रशासन अब 1974 के ट्रेड एक्ट की धारा 301 का सहारा लेकर नई टैरिफ व्यवस्था तैयार कर रहा है.

नई रणनीति के तहत अमेरिका कई देशों के व्यापारिक व्यवहार की

जांच कर रहा है, जिसमें 'फोर्स्ड लेबर' और 'अतिरिक्त औद्योगिक क्षमता' जैसे आरोप शामिल हैं. जांच के नतीजों के आधार पर संबंधित देशों पर अतिरिक्त आयात शुल्क लगाया जा सकता है. इस कदम का उद्देश्य टैरिफ को कानूनी रूप से अधिक मजबूत बनाना बताया जा रहा है, ताकि इसे अदालतों में चुनौती देना कठिन हो.

इसके विपरीत, कुछ देशों पर दबाव बढ़ने की आशंका है. सिंगापुर जैसे व्यापारिक साझेदार पर अतिरिक्त शुल्क लागू होने का जोखिम बताया जा रहा है, जिससे उसकी निर्यात स्थिति प्रभावित हो सकती है

> रिपोर्ट्स के अनुसार, इस नई व्यवस्था में सभी देशों पर समान असर नहीं पड़ेगा. जुलाई के अंत में मौजूदा अस्थायी 10 प्रतिशत वैश्विक टैरिफ समाप्त होने के बाद कुछ देशों पर शुल्क घटने की संभावना है, जबकि कुछ पर बढ़ोतरी हो सकती है. फिलीपींस जैसे देशों के लिए राहत की संभावना है, जहां टैरिफ मौजूदा स्तर से घटकर लगभग 12.5 प्रतिशत तक आ सकता है. वहीं दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों पर भी जांच के आधार पर शुल्क में बदलाव देखने को मिल सकता है.

सोना-चांदी की कीमतों में उछाल

सोना हुआ 800 रुपए तक महंगा, चांदी में 4000 रुपए प्रति किलो की जोरदार तेजी

नई दिल्ली, 22 जून .भारतीय सर्राफा बाजार में सोने और चांदी दोनों की कीमतों में तेज उछाल देखने को मिला है. वैश्विक बाजारों में बढ़ती मांग, भू-राजनीतिक तनाव और डॉलर की कमजोरी के चलते कीमती धातुओं के दामों में मजबूती आई है. घरेलू बाजार में 22 कैरेट और 24 कैरेट सोना महंगा हो गया है, जबकि चांदी की कीमतों में भी जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की गई है.रिपोर्ट्स के अनुसार, 24 कैरेट सोना करीब 14,700 से 14,800 प्रति 10 ग्राम के बीच कारोबार कर

रहा है, जबकि 22 कैरेट सोना भी इसी अनुपात में बढ़कर ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है. अनुमानित तौर पर सोने की कीमतों में लगभग ?800 प्रति 10 ग्राम तक की बढ़त देखी गई है. इस तेजी के चलते ज्वेलरी बाजार में ग्राहकों की खरीदारी पर असर पड़ सकता है, खासकर शादी और त्योहारों के सीजन से पहले.

वहीं चांदी ने इस बार सोने से भी तेज रफ्तार दिखाई है. चांदी की कीमतों में करीब ?4000 प्रति किलोग्राम तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. विशेषज्ञों का मानना है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चल रही अनिश्चितताओं और कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव का सीधा असर कीमती धातुओं पर पड़ रहा है.

अगस्त तक ईंधन आपूर्ति सुरक्षित

एचपीसीएल ने खरीदा 40 लाख बैरल तेल

अफ्रीका और लैटिन अमेरिका से बढ़ा आयात

नई दिल्ली, 22 जून मिडिल ईस्ट में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर मंडरा रहे संकट के बीच भारत के लिए राहत भरी खबर है. देश की प्रमुख तेल रिफाइनरियों ने कच्चे तेल और रसोई गैस (एलपीजी) का पर्याप्त भंडार जुटा लिया है, जिससे कम से कम अगस्त 2026 तक घरेलू जरूरतों को पूरा करने में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी. उद्योग सूत्रों के अनुसार भारतीय तेल कंपनियों ने पिछले कुछ सप्ताह में आक्रामक खरीदारी करते हुए कच्चे तेल और एलपीजी की बड़ी मात्रा सुरक्षित कर ली है.

भारतीय शेयर बाजारों में आई तेजी

291.17 अंक पर आया सेंसेक्स

89.80 अंक पर पहुंचा निफ्टी

मुंबई, 22 जून पिछले कारोबारी दिवस की गिरावट से उबरते हुए घरेलू शेयर बाजारों में सोमवार को तेजी रही और बीएसई का सेंसेक्स 291.17 अंक (0.38 प्रश) चढ़कर 77,094.07 अंक

पर बंद हुआ.नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी-50 सूचकांक भी 89.80 अंक यानी 0.37 प्रश ऊपर 24,102.90 अंक पर बंद हुआ.

> सेंसेक्स की कंपनियों में टेक महिंद्रा का शेयर दो प्रतिशत के करीब चढ़ा. सन फार्मा, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इंफोसिस और बीईएल में भी एक प्रतिशत अधिक तेजी रही. बजाज फिनसर्व, कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी बैंक, बजाज फाइनेंस, भारतीय स्टेट बैंक, भारती एयरटेल और आईसीआईसीआई बैंक के शेयर भी हरे निशान में रहे.

समाचार विशेष

पंजाब की खिचड़ी कश्मीर में पका रहे सिद्धू..?

श्रीनगर. पूर्व क्रिकेटर और कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने सोमवार को यहां राष्ट्रीय सम्मेलन के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला से मुलाकात की.

राष्ट्रीय सम्मेलन सूत्रों के अनुसार, सिद्धू ने जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री से उनके गुपकर स्थित आवास पर मुलाकात की. सूत्रों ने बताया कि दोनों नेताओं ने देश की मौजूदा राजनीतिक स्थिति, जम्मू-कश्मीर में हो रहे घटनाक्रम और आपसी हित के अन्य विषयों पर चर्चा की.

नवजोत सिंह सिद्धू ने फारूक अब्दुल्ला से मुलाकात के बाद उनकी जमकर तारीफ की है. साथ ही उन्होंने फारूक को भारतीय राजनीति का दिग्गज करार दिया है. साथ ही उन्होंने कहा कि फारूक अब्दुल्ला देश की राजनीति में प्रभावशाली आवाजों में से एक हैं. साथ ही उन्होंने फारूक अब्दुल्ला द्वारा जनता के मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखने और खुलकर बोलने पर तारीफ की.

इस मुलाकात को लेकर नवजोत सिंह सिद्धू ने भी अपने सोशल मीडिया पर जानकारी दी है. एक पोस्ट में उन्होंने बताया कि फ़ारूक़ अब्दुल्ला साहब से उनके घर पर मुलाक़ात की. हमारी यात्रा को आसान बनाने के लिए उनका शुक्रिया अदा किया. भारतीय राजनीति की एक बड़ी हस्ती, जिनमें सच बोलने की हिम्मत है और जो कश्मीर के लोगों की सच्ची धर्मनिरपेक्ष आवाज हैं.

सिद्धू ने अपने इस पोस्ट में मुलाकात की शानदार झलकियां भी दिखाई हैं. नवजोत सिंह सिद्धू ने फारूक अब्दुल्ला के साथ दो फोटो शेयर करते हुए इस मुलाकात के बारे में जानकारी दी है. साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री का अपनी कश्मीर यात्रा में मदद के लिए शुक्रिया भी अदा किया है.

भीड़ नहीं, हमें ईमानदारी चाहिए

चेन्नई. तमिलनाडु के पूर्व भाजपा अध्यक्ष के. अन्नामलाई ने अपने नई राजनीतिक पार्टी को लेकर बड़ा अपडेट दिया है. उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर वीडियो पोस्ट किया. पोस्ट में उन्होंने बताया कि हाल ही में शुरू किया गया उनका वी द लीडर्स मूवमेंट जुलाई तक एक राजनीतिक पार्टी बनने की दिशा में सही रास्ते पर है और इसका लक्ष्य 50 लाख सदस्य बनाना है.बीजेपी तमिलनाडु के पूर्व अध्यक्ष के. अन्नामलाई ने अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया है. वीडियो में उन्होंने कहा कि आज कई राजनीतिक संगठन दावा कर सकते हैं कि उनके पास एक करोड़, 50 लाख, 30 लाख या डेढ़ करोड़ सदस्य हैं, लेकिन हम उस होड़ में शामिल नहीं हैं. हमारे राजनीतिक आंदोलन में सबसे जरूरी चीज ईमानदारी है. जिस दिन 'वी द लीडर्स मूवमेंट' की वेबसाइट पर वॉलंटियर्स की संख्या 50 लाख तक पहुंच जाएगी, हम इस बारे में बात करेंगे.

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड IDFC FIRST Bank

(पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)
(CIN-L65110TN2014PLC097792)
रजिस्टर्ड ऑफिस : के आरएम टॉवर्स, 8वां तल, हेरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई-600031
फोन : +914445644000, फैक्स: +914445644022

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत सूचना

निम्नलिखित उधारकताओं और सह- उधारकताओं ने **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)** से नीचे उल्लिखित सुरक्षित ऋण प्राप्त किए हैं. नीचे उल्लिखित उधारकताओं और सह-उधारकताओं के ऋण उनकी संबंधित संपत्तियों के बंधक द्वारा सुरक्षित किए गए हैं. चूंकि वे संबंधित ऋण समझौतों की शर्तों का पालन करने में विफल रहे हैं और अनियमित हो गए हैं, इसलिए उनके ऋण को आरबीआई दिशा-निदेशों के अनुसार एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया। है. **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड** के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को उनके द्वारा देय राशि का उल्लेख संबंधित नोटिस के अनुसार किया गया है, जो विशेष रूप से निम्नलिखित तालिका में वर्णित है और उक्त राशियों पर आगे ब्याज भी लागू होगा और उसी पर संबंधित तिथियों से अनुबंध दर के अनुसार शुल्क लिया जाएगा.

स. क्रं.	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	धारा 13 (2) नोटिस तिथि	धारा 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि
1	38615250	संपत्ति के बदले ऋण	03 जून 2026	2,16,167.69/-

उधारकताओं और सह-उधारकताओं का नाम: 1. पवन यादव 2. कृष्णा बाई यादव

संपत्ति का पता: बने हुए घर नंबर 15 का पूरा हिस्सा (कुल क्षेत्रफल 1600 वर्ग फुट, सर्वे नंबर 905, वार्ड नंबर 02, पीएच नं.04, ग्राम धोती, तहसील और जिला आगर, मध्य प्रदेश)। इस प्रॉपर्टी की सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्व में गोविंद सिंह का घर, पश्चिम में सुंदरलाल तिवारी का घर, उत्तर में कॉमन रोड, दक्षिण में अमर सिंह का घर।

स. क्रं.	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	धारा 13 (2) नोटिस तिथि	धारा 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि
2	125682376	संपत्ति के बदले ऋण	03 मई 2026	7,28,350.68/-

उधारकताओं और सह-उधारकताओं का नाम: 1. तेज सिंह 2. रेखा बाई

संपत्ति का पता: मकान नंबर 14 का पूरा हिस्सा, कुल प्लॉट एरिया 1000 वर्ग फुट (40*25), जो गाँव: देहरी, पीएच नंबर 23, तहसील: सोनकच्छ, ज़िला: देवास, मध्य प्रदेश-455118 में स्थित है, और जिसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्व: लोकल रोड, पश्चिम: ज्ञान सिंह का घर, उत्तर: लोकल रोड, दक्षिण: अपनी जमीन।

आपको उपरोक्त तालिका में दर्शाए गए विवरण के अनुसार **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)** को संबंधित तिथियों से अनुबंधित ब्याज दर तथा अन्य लागत, प्रभार आदि के साथ इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, अन्यथा नीचे हस्ताक्षरकर्ता को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को देय राशि वसूलने के लिए ऊपर उल्लिखित बंधक संपत्तियों के विरुद्ध एसएआरएफएईएसआई अधिनियम की धारा 13 (4) तथा धारा 14 के अंतर्गत कार्यवाही आरंभ करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड** के रूप में जाना जाता है) इसके अलावा, आपको उक्त अधिनियम की धारा 13 (13) के तहत बिक्री / पट्टे या अन्यथा के माध्यम से उक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों को स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है.

एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी

दिनांक : 23.06.2026
स्थान : मध्यप्रदेश
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)

क्रमांक / 315 / ज. प्र. / 2026 **कार्यालय, नगर पालिक निगम, रतलाम (म.प्र.)** रतलाम, दिंनाक 19.06.2026

:: ई-निविदा आमंत्रण ::

नगर पालिक निगम रतलाम द्वारा निम्नलिखित कार्यों हेतु केन्द्रीयकृत प्रणाली में पंजीकृत ठेकेदारो से ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की जाती है जिसकी विस्तृत जानकारी ऑनलाईन वेबसाईड https://mptenders.gov.in पर देखी जा सकती है:-

क्र.	ऑनलाईन निविदा क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की समयावधि एवं लागत	निविदा प्रपत्र का मूल्य एवं EMD	निविदा की अंतिम तिथि
1	516783	फेरिक एलम ग्रेड 4 कोड 299 / 2012 IS एस्टीमेट अनुसार स्पेसिफिकेशन मोरवानी फिल्टर प्लांट पर अनलोडिंग व प्रदाय कार्य (प्रथम आमंत्रण) एफ.ओ.आर. - मोरवानी जल संयंत्र रॉवाटर शुद्धिकरण के उपयोग हेतु	1-12 months 2-18,75,000/-	1- 2,000/- 2-37,500/-	1-04/07/2026 17:30

नोट :- निविदा से संबंधित किसी प्रकार के संशोधन का प्रकाशन ऑनलाईन https://mptenders.gov.in की वेबसाईड पर ही किया जावेगा, पृथक से समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं किया जावेगा।

कार्यपालन यंत्री
जलप्रदाय
नगर पालिक निगम, रतलाम

इंडियन बैंक Indian Bank | इलाहाबाद ALLAHABAD

न्यू पलासिया शाखा: एम्बेसी टॉवर, न्यू पलासिया, इन्दौर (म.प्र.)

कब्जे की सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए)

जबकि अद्योहस्ताक्षरकर्ता ने **इंडियन बैंक** का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(12) सपठित प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 एवं 9 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का अनुप्रयोग करके निम्न ऋणगृहिता/बंधककर्ता को निम्न वर्णित दिनांक को सूचना प्रेषित करते हुए इस सूचना प्राप्ति के 60 दिन के अंदर ऋणराशि अदा करने की अपेक्षा की गई थी। चूंकि ऋणगृहिता द्वारा उपरोक्त समय अवधि में ऋण अदायगी मे त्रुटी की है अत: ऋणगृहिता/बंधककर्ता तथा सर्वसाधारण जनता को एतद द्वारा सूचना दी जाती है कि प्राधिकृत अधिकारी ने नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा आधिपत्य अधिनियम की धारा 13 (4) सपठित उपरोक्त नियमों के नियम 8 एवं 9 के अंतर्गत निम्न वर्णित दिनांक को प्राप्त कर लिया है। ऋणगृहिता/बंधककर्ता को विशेषत: तथा समस्त जनता को साधारणत: सतर्क किया जाता है कि इस संपत्ति के संबंध में कोई संव्यवहार न करे तथा यदि कोई संव्यवहार किया गया तो वह **इंडियन बैंक** के ऋणगृहिता के समक्ष वर्णित राशि के चार्ज के अधीन होगा। ऋणगृहिता का ध्यान प्रतिभूति अस्तियों के मोचन के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 (8) के उपबंधों की ओर आकृषित किया जाता है।

क्रं.	ऋणी का नाम	चल सपंत्ति और अचल संपत्ति का विवरण	मांग नोटिस / कब्जा नोटिस की दिनांक	बकाया राशि (₹)
1.	श्रीमती दामिनी सेंगर पति श्री दोंगर सिंह	1. संपत्ति के सभी प्रमुख अंग प्लाट नं. 79, माँ गिनि विहार, ग्राम पिपलिया मल्हार, सर्वे नं. 66/1/1, 66/1/2, 66/2/1, तहसील महू, जिला इन्दौर (म.प्र.), **क्षेत्रफल: 850 वर्गफीट, चर्तु:सीमा: उत्तर:** प्लाट नं. 80, **दक्षिण:** प्लाट नं. 78, **पूर्व:** प्लाट नं. 19, **पश्चिम:** कॉलोनी की सड़क 2. संपत्ति के सभी प्रमुख अंग प्लाट नं. 80, माँ गिनि विहार, ग्राम पिपलिया मल्हार, सर्वे नं. 66/1/1, 66/1/2, 66/2/1, तहसील महू, जिला इन्दौर (म.प्र.), **क्षेत्रफल: 850 वर्गफीट, चर्तु:सीमा: उत्तर:** प्लाट नं. 81, **दक्षिण:** प्लाट नं. 79, **पूर्व:** प्लाट नं. 18, **पश्चिम:** कॉलोनी की सड़क	09.04.26 / 17.06.26	40,25,395.14/- + ब्याज एवं अन्य खर्चे

स्थान : इन्दौर, दिनांक : 23.06.2026 **प्राधिकृत अधिकारी, इंडियन बैंक**

अल्केमिस्ट एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

सीआईएन नं.: U74999DL2002PLC117052, ए-270, पहली और दूसरी मंज़िल, डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली-110024
ईमेल: admin@alchemistarc.com, वेबसाइट: www.alchemistarc.com

कब्जे की सूचना

(SARFAESI एक्ट, 2002 की धारा 13(4) और सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एनफोर्समेंट) रूल्स, 2002 के नियम 8 के तहत)
(अचल संपत्ति के लिए)

मैं, **अल्केमिस्ट एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड** (जो SBFC फाइनेंस लिमिटेड की असाइनी है, असाइनमेंट एग्रीमेंट दिनांक 30.09.2025 के तहत) का अधिकृत अधिकारी हूँ। 'सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 (2002 का 54)' और 'सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एनफोर्समेंट रूल्स, 2002)' के नियम 3 के साथ पढ़े जाने वाले सेक्शन 13 (12) के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, मैंने **19 दिसंबर 2025** को एक डिमांड नोटिस जारी किया था। इसमें उधारकर्ता **शिवनारायण यादव, पूजा यादव, श्री रुदा कलेक्शन (लोन अकाउंट नंबर PR01259829) से नोटिस में बताई गई रकम - 4,52,265/- (चार लाख बावन हजार दो सौ पैंसठ मात्र)** - को नोटिस मिलने की तारीख से 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए कहा गया था।

उधारकर्ता द्वारा रकम न चुका पाने के कारण, उधारकर्ता और आम जनता को सूचित किया जाता है कि मैंने 'सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एनफोर्समेंट रूल्स, 2002)' के नियम 8 के साथ पढ़े जाने वाले एक्ट के सेक्शन 13 के सब-सेक्शन (4) के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, नीचे बताई गई प्रॉपर्टी का कब्जा **19 जून 2026** को ले लिया है।

उधारकर्ता/गारंटर और आम जनता को चेतावनी दी जाती है कि वे इस प्रॉपर्टी का कोई लेन-देन न करें। प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई भी लेन-देन **अल्केमिस्ट एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड** के 4,52,265/- और उस पर लगने वाले ब्याज के चार्ज के अधीन होगा।

उधारकर्ता का ध्यान एक्ट के सेक्शन 13 के सब-सेक्शन (8) के प्रावधानों की ओर दिलाया जाता है, जो सुरक्षित एसेट्स को छुड़ाने (रिडीम करने) के लिए उपलब्ध समय के बारे में हैं।

उधारकर्ताओं/ खातों का विवरण

स. क्र.	ऋण खाता संख्या	उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता /गारंटरओं का नाम	बकाया राशि	नोटिस की तारीख 13(4)	सुरक्षित संपत्ति का विवरण	बकाया राशि
1.	PR01259829	1. शिवनारायण यादव 2. शीतल पूजा यादव 3. श्री रुदा कलेक्शन	रू. 4,52,265/-	19- जून 2026	16/1 यादव मुहल्ला, ग्राम अहिरबर्डिया बापचा आगर, शाजापुर आगर मध्य प्रदेश, 465441	30 सितंबर 2025

उधारकर्ता/गारंटर को चेतावनी दी जाती है कि वे ऊपर बताई गई सुरक्षित संपत्ति (संपत्तियों) को सुरक्षित लेनदार की पहले से लिखित मंजूरी के बिना न तो बेचें, न ही उसे लीज पर दें, न गिरवी रखें, न उस पर कोई चार्ज बनाएँ और न ही किसी अन्य तरीके से उसका निपटान करें।
यह सूचना SARFAESI एक्ट, 2002 के प्रावधानों के तहत उधारकर्ता/गारंटर और आम जनता की जानकारी के लिए जारी की जा रही है।
अगर कोई सवाल हो, तो कृपया नीचे दिए गए संपर्क विवरण पर संपर्क करें:
फोन: 011-46562584 ; ईमेल: admin@alchemistarc.com, ashutosh@alchemistarc.com

हस्ताक्षर/- (अधिकृत अधिकारी)
अल्केमिस्ट एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड
(अल्केमिस्ट XLVII ट्रस्ट के ट्रस्टी के तौर पर काम करते हुए) सुरक्षित लेनदार

दिनांक:- 23.06.2026
स्थान:- मध्यप्रदेश